

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

द/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
102 / 21	188 RTA	तेजगढ	बारा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कजोड	बनाम	रामनिवास	


वकील :- श्री जितेन्द्र नागर एडवोकेट आदेश पत्रक वकील:-
दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

11.08.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एकट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जय्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को पेश हो। <i>W</i>	
4/10/21	मिस्त्र सीन अधिकारी सुझामन चौधरी को लिंग में रहने से पूर्ववत दिनांक 6/12/21 को प्रस्तुत की। <i>W</i>	
6-12-21	मिस्त्र सीन अधिकारी किंवा सुझामन चौधरी 2021 में रहने से पूर्ववत दिनांक 10-1-22 को प्रस्तुत की। <i>W</i>	
10.1.22	पत्रावली पेश उरी कमील नहीं उपा जाई नहीं गण की लखी है तलकाण पेश करे पत्रावली वाहे लखी दिनांक 24.2.22 को पेश हो। <i>W</i>	
24.2.22	पत्रावली पेश उरी कमील नहीं उपा जाई नहीं गण की लखी है तलकाण पेश करे पत्रावली वाहे लखी दिनांक 10.3.22 को पेश हो। <i>W</i>	
10/3/22	पत्रावली पेश उरी। वकील वाहे उपा। प्रतिवादी गण की लखी है। तलकाण पेश करे। पत्रावली वाहे लखी दिनांक 24/5/22 को पेश हो। <i>W</i>	
2-5-22	पत्रावली पेश उरी कमील नहीं उपा जाई नहीं गण की लखी है तलकाण पेश करे पत्रावली वाहे लखी दिनांक 28-6-22 को पेश हो। <i>W</i>	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

पत्रावली में है। तभी तक यदि एवं यदि रूप में
 300 नहीं। तभी तक यदि एवं यदि ही न बा
 झावाजा लगवात्रि गि। लागू प सुचना ले
 वही तक यदि एवं यदि नपापलत्र के 300 नहीं
 अतः यदि का वाप अदम हाजरी अदम
 पत्रकी के तभी तक यदि का आता है पत्रकी
 फिलहाल सुभा के काद तभी तक तभी तक
 के वही तक वफ्त है।


 उपखण्ड अधिकारी
 बारा